Stenographer Gr. II & Store keeper.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मीन उद्योग परिपालन संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968, जहां तक उनका संबंध भंडारी पद से है और केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कनिष्ठ आशुलिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में आशुलिपिक श्रेणी II और भंडारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, आशुलिपिक श्रेणी II और भंडारी भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विहित पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वेतन बैंड ग्रेड वेतन या वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी II	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

3416 GI/12—4

(6)
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर संचालित किया जाएगा और उसके लिए मानक जैसा कि नीचे है : श्रुतलेख: 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से 10 मिनट **अनुलिपिकरण :** 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति	ऐसे अवर श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति द्वारा जिनका वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु.+1900 रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 3-3/2012-एफवाई. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 19th September, 2012

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Operatives (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Storekeeper and the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Junior Stenographer (Group 'C') Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II and Storekeeper in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, Stenographer Grade II and Storekeeper Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed thereto.

3. **Number of posts, classification and the pay band, grade pay or pay scale.** —The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Stenographer Gr. II	01*(2012) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 ₹ 5200—20200 with Grade Pay of ₹ 2400	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test shall be conducted only on computers and norms for the same as under. **Dictation :** 10 minutes @ 80 words per minute **Transcription :** 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct Recruitment throuth Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute Fisheries Nautical and Engineering Training —Member 3. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store-keeper	2*(2012) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group-C, Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-I ₹ 5200—20200 with Grade Pay of ₹ 2400	Non Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	Promotion from Lower Division Clerk in the Pay Band I— Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training —Member 3. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training —Member	Not applicable.

[F. No. 3-3/2012-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.